न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू , जिला राज0

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल योगी आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 01/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/1

अर्न्तगत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 28.02.2024

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

प्रार्थी– आवेदक

बनाम

1 शिवराज पुत्र रामचन्द्र जाट (खाद्य कारोबारकर्ता)
मैसर्स :– जयपुर मिल्क उद्योग,
नारायण मार्केट, फागी, जिला दूदू

अप्रार्थी–अभियुक्त

उपस्थित अधिवक्ता – कैलाश चन्द रोज

अर्न्तगत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

परिवाद अर्न्तगत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है–

1 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.01.2022 को कार्यालस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए/नाटिफिकेशन 2011/440 दिनांक 26.07.2011 तथा संशोधित नोटिफिकेशन कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन 2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर के आदेश कमांक निदेशालय/एलएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय आवंटित किया गया है और जयपुर द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश कमांक/एलएसएसए/2022/885 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा आवेदक दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल के एफएसएस एक्ट 2006 के बकाया प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश प्राप्त हुए जिनकी प्रति न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल दिनांक 01.02.2022 को दोपहर 04.30 बजे मैसर्स जयपुर मिल्क उद्योग, नारायण मार्केट, फागी पर बेहेसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते गस्त चैकिंग पहुँचा। वहाँ शिवराज पुत्र रामचन्द्र जाट उपस्थित थे। श्री शिवराज को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिपत्र दिखाया तथा पूछने पर शिवराज ने स्वयं के मैसर्स जयपुर मिल्क उद्योग, नारायण मार्केट, फागी का खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शिवराज से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ विकय अनुज्ञा पत्र मांगा। जिस पर उन्होने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 एवं स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति मौके पर ही प्रस्तुत की जो रिकार्ड मे संलग्न है।

4. यह कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल द्वारा मैसर्स जयपुर मिल्क उद्योग, नारायण मार्केट, फागी का निरीक्षण करने पर एक भगोने में लगभग 20 किलो पनीर आम जनता को विकय हेतु रखा था। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में गुण्वत्ता में कमी का अंदेशा होने पर 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जॉच संख्या AN-2474 खरीदकर उसकी कीमत 250 रूपये विकेता शिवराज को नगद अदा कर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है। उपस्थित गवाहान श्री गणेश नारायण तथा दीपक कुमार सिंधी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद आवदेन के साथ संलग्न है।

5. यह कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने साथ ही मौके पर विकेता को लिखित रूप से फार्म संख्या 5 ए पर सूचित किया कि आप द्वारा विकय किया जा रहा पनी 1 किलोग्राम नमूना वास्ते जांच कय कर लिया गया है फॉर्म नं0 5 ए की तैयार प्रतियों को विकेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे शिवराज ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विकेता शिवराज को देकर प्राप्त की। फार्म संख्या 5 ए आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने खरीद शुदा पनीर 1 किलोग्राम को एक साफ सुखे खाली स्टील के भगोने में खरीद कर एक रूप कर चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की शीशियों में बराबर बराबर डालकर प्रत्येक में 20-20 बुदें प्रिजरवेटिव फार्मेलिन की डालकर ऐयरटाईट ढक्कन लगाकर बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक ए एन-2474 एवं नमूने का विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तथा गवाहन के एवं विकेता के हस्ताक्षर कराये। चारों भागों के नमूना को अलग-अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितिय की हस्ताक्षर शुदा पेपर सिलप

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर एएन–2474 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना शीशियों पर नियमानुसार गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दिक कर हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर की जाकर कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाई व समझाई जिन्होने सत्य मान तस्दीक कर हस्ताक्षर किये मैने स्वयं नमूना सील की मुद्रा मौका फर्द पर अंकित कर हस्ताक्षर किये। मौके पर सील्ड नमूना संख्या ए0एन0–2474 के चारों नमूना भाग व मौके कागजात को अपने जाप्ते में कर कार्यालय पहुँचा। मौका फर्द आवेदन के साथ संलग्न है।

7 यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने कार्यालय पहुँचकर फॉर्म न0 6 की 7 प्रतियां तैयार कि ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फॉर्म सं0 6 कि प्रति के आउटर कवर से सीलबंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की तैयार प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज0, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की द्वितीय प्रति की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्रात की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

8 यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/166 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज0, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/619/एक्ट/2022/655 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया। खाद्य पदार्थ पनीर 1 किलोग्राम सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट फॉर्म बी पर मूल प्रति एवं पत्र आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि उक्त केश में शिवराज पुत्र रामचन्द्र जाट (खाद्यकारोबारकर्ता) मैसर्स जयपुर मिल्क उद्योग, नारायण मार्केट, फागी के द्वारा सब स्ट्रेण्डर्ड पनीर का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री कैलाश चन्द रोज एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। गैरसायलान को जवाव हेतु प्रर्याप्त समय दिया गया। गैरसायलान द्वारा जवाब पेश नहीं किया व सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस सुनी गयी।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथन का खण्डन नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी द्वारा टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 की अपील की गई है। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेश से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रक्रियानुसार की गई है। स्टेट सेन्ट्रल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री की रिपोर्ट नम्बर एलएस/619/ एक्ट/2022/655 दिनांक 03.03.2022 की टेस्ट रिपोर्ट अनुसार 1 किलोग्राम पनीर साथ स्टैण्डर्ड रिपोर्ट के आधार पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।)51 का उल्लंघन पाये जाने पर पर गैरसायल को 10000/रू. अक्षरे दस हजार रू. मात्र का जुर्माना किया जाता है। अभियुक्त अप्रार्थी शारित राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर-अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में शारित की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी से कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे/लाइसेंस स्थगित किये जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रो कम हो।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला दूदू राज0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner